उत्तर प्रदेश में उद्यम व उद्योगों हेतु सर्वोत्तम वातावरण बनाया जाएगा

प्रदेश में उद्यम का माहौल बेहतर बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को गम्भीरता से समयबद्ध रूप से कार्य करना होगा– मुख्य सचिव

उद्यम व उद्योग स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं को सरल एवं आवश्यक निरीक्षणों को समक्रमिक (Synchronise)किया जाए– आलोक रंजन

उद्योगों की स्थापना में जिन विभागों द्वारा तकनीकी मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है, वे विभाग स्थापना हेतु अस्थाई स्वीकृति जारी करने पर विचार करें, जिससे अनावश्यक विलम्ब न हो– प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विभाग

लखनऊ, 01 अप्रैल 2015:

राज्य में बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिये विभिन्न परियोजनाओं के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापार एवं उद्योगों की प्रगति लिए और बेहतर माहौल बनाने के उद्देश्य से तेजी से कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इस क्षेत्र में राज्य को सर्वोत्तम बनाने की दिशा में उ.प्र. जनहित गारण्टी एक्ट में औद्योगिक सेवाओं को पूर्व में ही सम्मिलित कर दिया गया है।

व्यापार व उद्यम के माहौल को आसान करने के लिए प्रक्रियाओं व प्रणालियों को सरलीकृत एवं स्वीकृतियों आदि को पारदर्शी व समयबद्ध रूप से जारी करने पर केन्द्रित इस कार्यवाही के तहत प्रदेश के मुख्य सचिव, श्री आलोक रंजन की अध्यक्षता में आज यहाँ एक उच्च–स्तरीय बैठक हुई। इसके तहत कई नये कदम उठाये जा रहे हैं, जिनमें सभी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण–पत्र, लाइसेंस, पंजीकरण, स्वीकृतियाँ, भूमि एवं भवन से सम्बन्धित स्वीकृतियाँ, वेब–आधारित सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स सिस्टम–निवेश मित्र में सुधार, औद्योगिक श्रेणीवार भूमि का चिन्हांकन, पारदर्शी भूमि आवंटन प्रक्रिया आदि सम्मिलित हैं।

उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता एवं दक्षता की आवश्यकता पर बल देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में उद्यम का माहौल बेहतर बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को गम्भीरता से समयबद्ध रूप से कार्य करना होगा ।

उन्होंने कहा कि उद्यम व उद्योग स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं को सरल एवं आवश्यक निरीक्षणों को समक्रमिक **(Synchronise)** किया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश निवेश का सर्वोत्तम गन्तव्य बन सके।

सूचित किया गया कि प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग की ऑनलाइन सेवाएं अन्य प्रगतिशील राज्यों की तुलना में किसी से कम नहीं व उत्तम हैं। हाल ही में इसमें ऑनलाइन रिफण्ड सुविधा को भी शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त कइ ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे ई–रेजिस्ट्रेशन, ई–संचरण, ई–पेमेन्ट, ई–रिटर्न इत्यादि। इसी प्रकार प्रदूषण नियंत्रण विभाग से जारी होने वाली अनापत्तियों हेतु भी आवेदन–पत्र अब ऑनलाइन ही लिए जा रहे हैं।

प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, श्री महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इस क्षेत्र में सुधार हेतु राज्य सरकार गत 6 माह से निरन्तर कार्य कर रही है। सम्बन्धित विभागों से विभिन्न प्रक्रियों में सुधार हेतु सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाये जाने पर सुझाव मांगे गए थे, जिनमें सभी प्रमुख औद्योगिक गतिविधियों, यथा– उद्यम स्थापना से शुरू करके भूमि आवंटन, सम्पत्ति का पंजीकरण,

निर्माण अनुमति, पर्यावरण व श्रम स्वीकृतियाँ, अवस्थापना संबंधी सुविधायें, टैक्स, निरीक्षण सुधार एवं उद्यम से निकास आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगों की स्थापना में जिन विभागों द्वारा तकनीकी मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है, वे विभाग स्थापना हेतु एकीकृत आवेदन प्रारूप पर अस्थाई स्वीकृति जारी करने पर विचार करें, जिससे इकाई की स्थापना में अनावश्यक विलम्ब न हो।

उद्यम प्रारम्भ करने की समयावधि को और कम करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली इकाइयों को विद्युत संयोजन से प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता में ढील **(Relaxation)** देने पर विचार किया जाए। इसके अतिरिक्त मण्डलीय स्तर पर वाणिज्यिक विवादों के निस्तारण हेतु विशेष अदालतें बनाने का सुझाव भी दिया गया।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा माह मई–जून 2015 में उद्यम हेतु आसान वातावरण पर पूरे देश में एक अध्ययन किया जाएगा तथा सभी राज्यों को इस आधार पर रैंक प्रदान की जाएगी।

बैठक में विभिन्न संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव एवं सचिवों ने भाग लिया, जिनमें श्रम विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, नगर विकास, वाणिज्य कर, ऊर्जा, राजस्व, स्टैम्प एवं रजिस्ट्रेशन, विधि तथा नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के उच्चाधिकारी सम्मिलित थे।

———————————————